



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
सेवा एकक अनुभाग / Services Units Section



अणुशक्तिभवन/Anushakti Bhavan,  
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग/C.S.M Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001.

सं.No: 10/8(1)/2025 - SUS/10731

अगस्त/August 08 , 2025

**आदेश / ORDER**

**विषय** परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के संबंध में प्रापण वरीयता (स्थानीय सामग्री से  
**Subject:-** संबंधित) प्रदान करने के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता)  
आदेश 2017 के संबंध में।  
Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 to  
provide Purchase Preference (linked with local content) in respect of  
Department of Atomic Energy (DAE) - reg

**संदर्भ** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का दिनांक  
**Reference: -** 19.07.2024 का आदेश संख्या P-45021/2/2017-PP (BE-II)  
Department of Promotion of Industry and Internal trade (DPIIT)  
Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 19.07.2024

\*\*\*\*\*

भारत सरकार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आय और रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी के दिनांक 15.06.2017 के आदेश संख्या P-45021/2/2017-PP (BE-II) और उसके बाद दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 और 19.07.2024 के आदेशों द्वारा जारी संशोधनों के माध्यम से सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 जारी किया है।

The Government of India, Department for Promotion of Industry and Internal trade (DPIIT) has issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 vide DPIIT order no. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 15.06.2017 and subsequent amendments vide order dated 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 and 19.07.2024 for encouraging 'Make in India' and promoting manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhance income and employment.

2. परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा, विशेष रूप से डीपीआईआईटी द्वारा चिन्हित "नाभिकीय रिएक्टरों और उनकी आपूर्ति" के संबंध में। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सभी प्रापणकर्ता संस्थाओं द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को वरीयता दी जाएगी।

Department of Atomic Energy (DAE) shall be the Nodal Department to monitor the implementation of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 specifically with respect to “Nuclear Reactors and its Supplies” as identified by DPIIT. In furtherance to the aforesaid order, it is hereby notified that preference shall be provided by all procuring entities to domestically manufactured items.

3. डीपीआईआईटी के दिनांक 19.07.2024 के पीपीपी-एमआईआई आदेश संख्या 45021/2/2017-PP (BE-II) - Part (4) Vol.II के खंड 3 (a) के अनुसार “नाभिकीय रिएक्टरों और इसकी आपूर्ति” के संबंध में ऐसे सभी वस्तुओं के प्रापण में, जिसमें पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, केवल 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', क्रय मूल्य के बावजूद बोली लगाने के लिए पात्र होंगे।

In procurement of all goods in respect of “Nuclear Reactors and its Supplies” in which there is sufficient local capacity and local competition, only ‘Class-I local supplier’, shall be eligible to bid irrespective of the purchase value as per Clause 3(a) of the DPIIT’s PPP-MII Order no. 45021/2/2017-PP (BE-II)- Part (4) Vol.II dated 19.07.2024 .

4. किसी आपूर्तिकर्ता को 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री (एमएलसी) की आवश्यकता पूर्वोक्त आदेश में परिभाषित किए गए अनुसार ही रहेगी।

The Minimum Local Content (MLC) requirement to categorize a supplier into ‘Class-I local supplier’/‘Class-II local supplier’/‘Non-local supplier’ shall be the same as defined in the aforesaid order.

5. इस आदेश के प्रयोजन के लिए, आदेश और प्रावधानों में प्रयुक्त विभिन्न निबंधन और शर्तों की परिभाषाएं ऊपर उल्लिखित डीपीआईआईटी के दिनांक 19.07.2024 के आदेश के समान होंगी।

For the purpose of this order, the definitions of various terms and conditions used in the order and provisions shall be same as in DPIIT order dated 19.07.2024 referred above.

6. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है तथा केवल श्रेणी-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही क्रय मूल्य पर ध्यान दिए बिना नीचे दर्शाए गए “नाभिकीय रिएक्टरों और इसकी आपूर्ति” से संबंधित 14 मदों के संबंध में बोली लगाने के पात्र होंगे।

Based on the available data, Department has concluded that there is sufficient local capacity and local competition and only Class-I local suppliers will be eligible to bid in respect of 14 items pertaining to “Nuclear Reactors and its Supplies” indicated below irrespective of purchase value.

| क्र.सं.<br>Sr.<br>No. | मद Items                                                                     | एचएसएन<br>कोड<br>HSN Code | न्यूनतम स्थानीय<br>सामग्री<br>Min Local<br>Content |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| (i)                   | Air Operated Double Diaphragm (AODD) Pump for transfer of hazardous liquids. | 84142090                  | >90%                                               |
| (ii)                  | Canned Motor Pumps for transfer of hazardous liquids.                        | 84137099                  | >90%                                               |

|        |                                                                                                               |                      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| (iii)  | Stainless Steel 304L Steam Ejectors developed for Nuclear applications.                                       | 84148090             | 100% |
| (iv)   | Manipulator for remote operation.                                                                             | 84289090             | >80% |
| (v)    | Remote Welding Machine (RWM) for process/waste treatment plant.                                               | 85153990             | >80% |
| (vi)   | NUCON PLC for process industries, steel plants, oil companies, power stations.                                | 84714120             | >80% |
| (vii)  | Micro PLC for process industries, steel plants, oil companies, power stations.                                | 84714120             | >80% |
| (viii) | EC SCADA Software for process industries, steel plants, oil companies, power stations.                        | 90321010             | 100% |
| (ix)   | Refined Grade Stainless Steel 304L Seamless Pipes (<10mpy) developed for Nuclear applications up to 10" NB.   | 73044100             | >90% |
| (x)    | Stainless Steel 304L Welded Pipes developed for Nuclear applications.                                         | 73064000             | >90% |
| (xi)   | Refined Stainless Steel 304L Plates (<10mpy) developed for Nuclear applications up to 1500 mm width.          | 72191200<br>72192121 | >80% |
| (xii)  | Refined Stainless Steel 304L Seamless Tubes (<10mpy) developed for Nuclear applications up to 10" NB.         | 73044100             | >90% |
| (xiii) | Refined Stainless Steel 304L Hollow Bar Nozzles (HBN < 10mpy) developed for Nuclear applications up to 1" NB. | 73044100             | >90% |
| (xiv)  | Stainless Steel 304L Pipe Fittings (Tee, Elbow, Reducers) developed for Nuclear applications.                 | 73072900             | 100% |

7. यह आदेश भारत सरकार के अधीन संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों या स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए प्रापण के संबंध में लागू होगा, जिसमें कंपनी अधिनियम में परिभाषित सरकारी कंपनियां और/या सभी केंद्रीय योजनाओं/केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत प्रापण करने वाले राज्य और स्थानीय निकाय, जहां योजनाएं भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं, भी शामिल हैं।

This Order shall be applicable in respect of the procurement made by attached or subordinate offices or autonomous bodies under the Government of India including Government Companies as defined in the Companies Act, and/or the States and Local Bodies making procurement under all Central schemes/Central Sector Schemes where the Schemes are fully or partially funded by Government of India.

8. पीपीपी-एमआईआई आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों पर निर्णय परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। शिकायत समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

Decision on complaints relating to implementation of PPP-MII order shall be taken by a committee constituted by Department of Atomic Energy (DAE). The Composition of Grievance Committee will be as under: -

|       |                                                                  |                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (i)   | निदेशक (डीपीएस), मुंबई /<br>Director (DPS), Mumbai               | अध्यक्ष / Chairman               |
| (ii)  | कार्यकारी निदेशक, एनपीसीआईएल, मुंबई /<br>ED(C&MM), NPCIL, Mumbai | सदस्य / Member                   |
| (iii) | मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद /<br>CE, NFC, Hyderabad        | सदस्य / Member                   |
| (iv)  | निदेशक (एसयूएस), पऊवि, मुंबई /<br>Director (SUS), DAE, Mumbai    | सदस्य / Member                   |
| (v)   | उप निदेशक-ए, डीपीएस, मुंबई /<br>Dy. Director- A, DPS, Mumbai     | सदस्य सचिव /<br>Member Secretary |

9. सभी परिभाषाएं, निबंधन और शर्तें डीपीआईआईटी के दिनांक 15.06.2017 के पीपीपी-एमआईआई आदेश संख्या P-45021/2/2017-PP (BE-II) और उसके बाद दि. 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 और 19.07.2024 के आदेशों द्वारा जारी संशोधनों और इसके अनुसरण में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश (आदेशों) और संशोधनों के अनुसार होंगी।

All definitions, terms and conditions shall be as per DPIIT's PPP-MII Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 15.06.2017 and subsequent amendments vide order dated 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 and 19.07.2024 and in its furtherance, order(s) amendments and revisions issued by the Government from time to time.

10. इसे विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority in this Department.

 Digitally signed  
by BIPIN KURUP  
Date: 2025.08.08  
15:55:21 +05'30'

(बिपिन कुरूप / Bipin Kurup)

अवर सचिव, भारत सरकार

Under Secretary to the Government of India

**सेवामें / To:**

- सचिव, डीपीआईआईटी, - सार्वजनिक प्रापण आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के अध्यक्ष /  
Secretary, DPIIT, Chairman of Standing Committee for Implementation of Public Procurement Order, 2017.
- अपर सचिव, डीपीआईआईटी, पीपी प्रभाग - सार्वजनिक प्रापण आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति के सदस्य संयोजक /  
Additional Secretary, DPIIT, PP Division – Member Convenor of Standing Committee for Implementation of Public Procurement Order, 2017
- अवर सचिव, डीपीआईआईटी, पीपी प्रभाग /  
Under Secretary, DPIIT, PP Division



भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
सेवा एकक अनुभाग Services Units Section



अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan,  
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग C.S.M Marg,  
मुंबई Mumbai - 400 001.

सं. No. 10/8(1)/2025-SUS/13017

अक्तूबर October 03, 2025

**कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM**

**विषय :** परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के संबंध में प्रापण वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) प्रदान करने के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 - संबंधी

**Subject :** **Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 to provide Purchase Preference (linked with local content) in respect of Department of Atomic Energy (DAE) - reg**

\*\*\*\*\*

भारत सरकार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने तथा भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी के दिनांक 15.06.2017 के आदेश सं. P-45021/2/2017-PP (BE-II) एवं उसके बाद दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 और 19.07.2024 के संशोधनों के आदेश के माध्यम से सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया है।

The Government of India, Department for Promotion of Industry and Internal trade (DPIIT) has issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 vide DPIIT order no. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 15.06.2017 and subsequent amendments vide order dated 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 and 19.07.2024 for encouraging 'Make in India' and promoting manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhance income and employment.

2. परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीपीआईआईटी द्वारा चिन्हित विशेष रूप से "नाभिकीय रिएक्टरों और इसकी आपूर्ति" के संबंध में नोडल विभाग है। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सभी प्रापणकर्ता संस्थाओं द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को वरीयता दी जाए।

Department of Atomic Energy (DAE) is the Nodal Department to monitor the implementation of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 specifically with respect to "Nuclear Reactors and its Supplies" as identified by DPIIT. In furtherance to the aforesaid order, it is hereby notified that preference shall be provided by all procuring entities to domestically manufactured items.

3. "परमाणु रिएक्टरों और इसकी आपूर्ति" के संबंध में सभी वस्तुओं के प्रापण में, जिसमें पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, केवल 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', डीपीआईआईटी के

पीपीपी-एमआईआई के दिनांक 19.07.2024 के आदेश संख्या 45021/2/2017-PP (BE-II)- Part (4) Vol.II की धारा 3 (ए) के अनुसार प्रापण मूल्य के बावजूद बोली लगाने के लिए पात्र होंगे।

In procurement of all goods in respect of “Nuclear Reactors and its Supplies” in which there is sufficient local capacity and local competition, only ‘Class-I local supplier’, shall be eligible to bid irrespective of the purchase value as per Clause 3(a) of the DPIIT’s PPP-MII Order no. 45021/2/2017-PP (BE-II)- Part (4) Vol.II dated 19.07.2024 .

4. परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 08.08.2025 के आदेश संख्या 10/8(1)/2025-SUS/10731 (प्रति संलग्न) के तहत पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017 के अनुसार धारा 3(ए) की परिभाषा के अनुरूप एचएसएन कोड के साथ 14 वस्तुओं को अधिसूचित किया है। सूचना के लिए उक्त आदेश को डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।

DAE vide order no. 10/8(1)/2025-SUS/10731 dated 08.08.2025 (copy enclosed) has notified 14 items with HSN Code in line with the definition of clause 3(a) as per the PPP-MII Order 2017. The said order has been uploaded on the DPIIT website for information and can be accessed on the following link.

<https://dpiit.gov.in/departments-atomic-energy>

5. यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि उपर्युक्त सूची की समय-समय पर समीक्षा अनिवार्यतः हो। अतः यूनिटों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त संस्थानों से अनुरोध है कि पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार यदि किसी मद को जोड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो वे निदेशक, डीपीएस को एक स्व-निहित नोट के माध्यम से सूचित करें।

It also pertinent to note that the aforementioned list requires periodic review. Consequently, the Units/PSUs/AIs are requested to inform Director, DPS through a self-contained note if any items necessitate addition, in accordance with the definitions in the PPP-MII Order, 2017.

संलग्न : यथोपरि Encl: as above

 Digitally signed  
by BIPIN KURUP  
Date: 2025.10.03  
16:11:53 +05'30'

(बिपिन कुरुप Bipin Kurup)

अवर सचिव (एसयूएस) Under Secretary (SUS)

पञ्चवि के सभी संघटक इकाईयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रधान एवं प्रशासनिक प्रमुख । / All Heads & Administrative Heads of Units/ PSUs/ AIs of DAE

प्रतिलिपि / Copy to: -

(i) पञ्चवि सचिवालय के सभी अधिकारीगण एवं अनुभाग – दर्पण  
All Officers & Sections in DAE Secretariat – DARPAN

(ii) सीआईएसडी, पञ्चवि  
CISD, DAE

इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को पञ्चवि की वेबसाइट पर "डीआई प्रोक्यूरमेंट प्लान" के अंतर्गत प्रदर्शित करने हेतु।  
To display the contents of this OM on the DAE website under “DAE Procurement Plan”.